न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 37/2019

1. छोटूलाल आ0 हजारीलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. हजारा आ0 भंवरलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. कालूलाल आ0 हजारीलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. रामलाल आ0 हजारीलाल जाति मीना निवासी जगन्नाथा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :—अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2. प्रति0 की और से श्री निलेश सामरिया, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक —12.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 01.03.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा एवं बंटवारा का पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नया 111 की कृषि भूमि ख.सं. 298 रकबा 1.19 है0, ख.सं. 301 रकबा 1.10 है0, ख.सं. 354 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 404 रकबा 1.37 है0, ख.सं. 463 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 464 रकबा 1.54 है0, ख.सं. 465 रकबा 1.70 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम व माल जगन्नाथा पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। मूल पुरूष हजारा है, हजारा का पुत्र वादी, प्रति. सं. 2 व 3 है। वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढी दर पीढी दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बैचान करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावें।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगाायत 3 की और से दिनांक 09.09.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 09.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नया 111 की कृषि भूमि ख.सं. 298 रकबा 1.19 है0, ख.सं. 301 रकबा 1.10 है0, ख.सं. 354 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 404 रकबा 1.37 है0, ख.सं. 463 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 464 रकबा 1.54 है0, ख.सं. 465 रकबा 1.70 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम व माल जगन्नाथा पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

छोटूलाल V/S हजारा वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 37/2019

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 12.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

''आराजी खाता सं. नया 111 की कृषि भूमि ख.सं. 298 रकबा 1.19 है0, ख.सं. 301 रकबा 1.10 है0, ख.सं. 354 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 404 रकबा 1.37 है0, ख.सं. 463 रकबा 0.20 है0, ख.सं. 464 रकबा 1.54 है0, ख.सं. 465 रकबा 1.70 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम व माल जगन्नाथा पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत .... ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

(उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन)

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner